कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर

पत्रांक/मान्यता/5726-32 / 2022–23 दिनांक 17-12-22

प्रबन्धक,
कस्तूरी देवी पब्लिक स्कूल ग्राम व पोस्ट जसोई
विकास खण्ड बघरा
जनपद–मुजफ्फरनगर।

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके ऑनलाइन आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार, निरीक्षण के प्रति निर्देश से जनपदीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 15.12.2022 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में, मैं कस्तूरी देवी पब्लिक स्कूल ग्राम व पोस्ट जसोई विकास खण्ड बघरा को शैक्षिक सत्र 2022–23 एक वर्ष की अवधि के लिये कक्षा 1 से कक्षा 5 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

1. मान्यता की मंजूरी विस्तरणीय नही है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा 5 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिये बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उपबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति, कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा तीन से निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

I. प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।

II. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जाएगा।

III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

Manager
Kasturi Devi Public School
Jasoi, Muzaffarnagar

Principal
KASTURI DEVI PUBLIC SCHOOL
JASOI, MZN

V. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा।

अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानसार है–

➢	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	—
➢	कुल निर्मित क्षेत्र	—
➢	क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	उपलब्ध है।
➢	कक्षाओं की संख्या	05
➢	प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार घर के लिए कक्ष	है।
➢	बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	है।
➢	पेयजल सुविधा	है।
➢	मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई	—
➢	बाधारहित पहुँच	है।
➢	अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	है।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या **MUZ09029313866** है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17. विद्यालय के उपलब्ध स्थान के कक्षा–कक्षों में प्रति छात्र 9 वर्ग फुट तक की सीमा तक ही प्रवेश सुनिश्चित करें।

Manager
Kasturi Devi Public School
Jasoi, Muzaffarnagar

Principal
KASTURI DEVI PUBLIC SCHOOL
JASOI, MZN

18. संलग्नक उपलब्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

(शुभम शुक्ला)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर।

पत्रांक व दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, लखनऊ।
2. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, प्रयागराज।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सहारनपुर मण्डल ,सहारनपुर।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद मुजफ्फरनगर।
6. कार्यालय पत्रावली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर।

Manager
Kasturi Devi Public School
Jasoi. Muzaffarnagar

Principal
KASTURI DEVI PUBLIC SCHOOL
JASOI, MZN